FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0054 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 26/02/2026 12:55 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 06/02/2026 **Date To (दिनांक तक):** 24/02/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 12:43 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 26/02/2026 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 26/02/2026 12:55:45 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 50 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** TEHASIL KARAYALAY, BANSUR JILA KOTPUTLI BEHAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** AMIT ARYA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** LEELARAM ARYA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2001 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MANDIJA BASAI, BANSUR, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MANDIJA BASAI, BANSUR, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ATUL KUMAR YADAV		पिता:MOHAR SINGH	1. RATANPURA,BANSUR, कोटपूतली-बहरोड़,RAJASTHAN, INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

मुकदमा हालात इस प्रकार है कि दिनांक 6.02.2026 को वक्त करीब 1.00 पी.एम उप अधीक्षक पुलिस श्री परमेश्वर लाल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर के समक्ष ब्यूरों कार्यालय अलवर में परिवादी श्री अमित आर्य पुत्र श्री लीलाराम आर्य ग्राम मण्डिजा बसई, बानसूर जिला कोटपूतली-बहरोड ने उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र उप पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। जिसका उप पुलिस अधीक्षक श्री परमेश्वर लाल उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अवलोकन किया तथा परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री अमित आर्य ने ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त लिखित प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि" मेरे व मेरी भाभी श्रीमती स्नेहलता पत्नी श्री सतीश कुमार के नाम से ग्राम खोहरी तहसील बानूसर में साढे पांच बीघा जमीन दिनांक 22.01.2026 को श्रीमती सुन्देरी पत्नी श्री शिवलाल से खरीदी थी। जिसकी रजिस्ट्री भी दिनांक 22.01.2026 को तहसीलदार बानसूर के कार्यालय में करवाई थी। मैनें हमारी उक्त खरीदी गई भूमि के इन्तकाल खोलने के लिये हल्का पटवारी श्री अतुल से दिनांक 04.02.2026 को मिलकर बातचीत की तो उसने मुझे बताया की ये जमीन बैंक के रहन है। तुम बैंक से NOC ले आना तुम्हारे रहन फक व इन्तकाल का काम एक साथ कर देंगे और मुझसे रहन फक करने व इन्तकाल चढाने के लिए 15000/-रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं भ्रष्ट पटवारी श्री अतुल को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं उसे रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मैं मेरे आधार कार्ड एवं रजिस्ट्री की फोटोकापी मेरे हस्ताक्षर युक्त पेश कर रहा हूं। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाये जाने पर वक्त करीब 2.30 पी.एम पर कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगाकर परिवादी श्री अमित आर्य को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर परिवादी के समक्ष श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह श्री अतुल, पटवारी, पटवार हल्का खोहरी के पास जाकर आरोपी पटवारी से अपने काम के लिये रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में वार्ता करे तथा श्री अतुल पटवारी से हुई वार्ता को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करें साथ ही श्री सुण्डाराम हैड कानि. को परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जाने के निर्देश कर हिदायत दी गई की वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री अमित आर्य को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी के पास भेजे तथा परिवादी के साथ आसपास रहकर परिवादी व संदिग्ध आरोपी को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ता को सुनने का प्रयास करे। हैड कानि0 को यह भी हिदायत दी गई रिश्वत मांग सत्यापन होने के बाद परिवादी को आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वती राशि साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। परिवादी व हैड कानि0 को रिश्वत मांग सत्यापन के लिये रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 4.50 पी.एम पर श्री सुण्डाराम हैड कानि. 2 ने श्री परमेश्वर लाल उप अधीक्षक पुलिस को जरिये वाटसअप काल अवगत करवाया कि परिवादी श्री अमित आर्य ने गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन करवा दिया गया है। जिस पर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री सुण्डाराम हैड कानि. को आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग राशी सहित साथ लेकर कार्यालय आने के लिए निर्देश दिये। जिस पर श्री सुण्डाराम ने परिवादी श्री अमित आर्य ने वार्ता करवाई तो परिवादी ने अवगत कराया कि साहब आपके निर्देशानुसार मैं और आपके कार्यालय का कर्मचारी श्री सुण्डाराम कार्यालय से रवाना होकर बानसूर फोर्ट के पास बनी पानी की टंकी के पास पहूंचे जहां पर श्री सुण्डाराम ने डिजीटल टैप रिकार्डर चला कर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैनें अपने पास सुरक्षित रख लिया वहां से रवाना होकर पटवारी श्री अतुल के किराये के कमरें पर पहूंचा जहां पटवारी अतुल उपस्थित मिला जिससे मेरे व मेरी भाभी द्वारा खरीदी गई जमीन पर बैंक लोन के नोट को हटाने व जमीन का इन्तकाल चढाने के लिए बातचीत की तो उसने मुझसे दोनो कार्य के 15000/-रूपये की मांग की है। उक्त वार्ता को मैनें रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया जिसे चालू हालत में श्री सुण्डाराम हैड कानि. को दे दिया जिसे उन्होनें बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया और बताया की मुझे घर पर बहुत जरूरी कार्य है तथा पैसों की भी व्यवस्था करनी है। मैं पैसों की व्यवस्था कर आपके कार्यालय उपस्थित हो जाउंगा। परिवादी द्वारा बताई गई उक्त बातों की ताईद श्री सुण्डाराम हैड कानि. द्वारा भी की गई। इस पर उप पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को गोपनीयता की हिदायत देकर श्री सुण्डाराम हैड कानि. को हिदायत दी की आप परिवादी को बानसूर ही छोडकर वाईस रिकार्डर सहित उपस्थित कार्यालय आवे। तत्पश्चात वक्त करीब 7.10 पी.एम पर श्री सुण्डाराम हैड कानि. ब्यूरों कार्यालय में श्री परमेश्वर लाल उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आया और श्री सुण्डाराम हैड कानि.

ने अपने पास से रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओ का रिकार्डशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया और बताया कि मैं और परिवादी श्री अमित आर्य कार्यालय से रवाना होकर बानसूर फोर्ट के पास बनी पानी की टंकी के पास पहूंचे जहां पर मेरे द्वारा विभागीय डिजीटल टैप रिकार्डर चला कर परिवादी को सुपुर्द किया जिसे परिवादी अपने पास सुरक्षित रख लिया तथा परिवादी को संदिग्ध पटवारी श्री अतुल के किराये के कमरे पर रवाना कर दिया गया और मै अपनी उपस्थिति छुपाये हुये कमरे के बाहर मुकिम हो गया और कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास आया और चालू हालत में टेप रिकार्डर मेरे को सुपुर्द किया गया जिसे बन्द कर मैनें मेरे पास सुरक्षित रख लिया और परिवादी ने बताया मेरे पटवारी से रिश्वत मांग सत्यापन के संबंध में वार्ता हो गई है। जिसने मेरे व मेरी भाभी द्वारा ली गई जमीन पर बैंक लोन के नोट को हटाने व जमीन का इन्तकाल चढाने के लिए 15000/-रूपये की मांग की है। उक्त बाते जरिये वाट्सएप काल परिवादी ने आपको बता दी थी। मै आपके निर्देशानुसार परिवादी को बानसूर ही छोडकर वाईस रिकार्डर सहित बानसूर से रवाना होकर कार्यालय उपस्थित आ गया। तत्पश्चात उप पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को ईयरफोन लगाकर सुना तो परिवादी से आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी व उसकी भाभी द्वारा ली गई जमीन पर बैंक लोन के नोट को हटाने व जमीन का इन्तकाल चढाने के लिए 15000/-रूपये की मांग करना पाया गया। तत्पश्चात उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को मय एसडी कार्ड के बंद कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 09.02.2026 को वक्त करीब 6.00 पी.एम ब्यूरो मुख्यालय के आदेशानुसार चौकी प्रभारी अलवर के पद पर मन शब्बीर खान उप अधीक्षक पुलिस उपस्थित हुआ एंव चौकी का सम्पूर्ण चार्ज मन उप अधीक्षक लिया गया तथा चार्ज के साथ परिवादी श्री अमित आर्य की शिकायत व उक्त शिकायत पर दिनांक 06.02.2026 को करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के आलमारी में दिनांक 06.02.2026 को रखा गया था, को कार्यालय की आलमारी से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB निकालकर जिसमें आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्तालाप रिकार्ड है, को अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी के प्रार्थना पत्र, अब तक की गई कार्यवाही का रनिंग नोट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राप्त किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 6.15 पी.एम पर मन उप पुलिस अधीक्षक शब्बीर खां उक्त प्रकरण में परिवादी का प्रार्थना पत्र मय रनिंग नोट, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB प्राप्त कर अवलोकन किया गया। विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB जिसमें आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्तालाप रिकार्ड है, को सुना गया तो परिवादी से संदिग्ध आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी व उसकी भाभी द्वारा खरीदी गई जमीन पर बैंक लोन के नोट को हटाने व जमीन का इन्तकाल चढाने के लिए 15000/-रूपये की मांग करने की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। उक्त विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को बंद कर कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 16.02.2026 को वक्त करीब 12.30 पी.एम परिवादी श्री अमित आर्य उपस्थित कार्यालय आया जिस से मन उप अधीक्षक द्वारा परिवादी द्वारा ब्यूरो कार्यालय में दिनांक 06.02.2026 को दिये गये प्रार्थना पत्र एवं करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन के संबंध में मजिद पूछताछ की गई। परिवादी से रिश्वत मांग सत्यापन पर ट्रेप कार्यवाही हेतु आरोपी पटवारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो परिवादी ने अवगत कराया कि मेरे परिवार में शादी है, शादी के काम से मैं आज अलवर आया हूं। इसलिए मैं आज ट्रेप कार्यवाही नहीं करवा सकता हूं। वक्त करीब 1.00 पी.एम पर श्री महेशचन्द कानि. चालक मय कार्यालय उपायुक्त, वाणिज्यक कर विभाग अलवर से दो गवाहान को साथ लेकर हाजिर कार्यालय आये। जिनसे मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दोनों गवाहान को अपना परिचय देकर नाम पता पूछने पर एक ने अपना श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री कमल सिंह चौधरी उम्र 39 साल, जाति जाट, निवासी ग्राम व पोस्ट हल्दीना, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी व दूसरे ने अपना नाम श्री शिवाशीष कौशिक पुत्र श्री हनुमान प्रसाद कौशिक उम्र 35 साल, जाति ब्राहम्ण, निवासी श्री कृष्ण कुन्ज राजाजी का बास पुलिस लाईन के बी गेट के पास अलवर हाल सहायक प्रषासनिक अधिकारी, कार्यालय सहायक आयुक्त वृत (ब) अलवर होना बताया। तत्पश्पचात मन उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय में मौजूद परिवादी श्री अमित आर्य का परिचय दोनों गवाहान से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री अमित आर्य द्वारा दिनांक 06.02.2026 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री अमित आर्य द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात दोनों गवाहान को परिवादी से संदिग्ध आरोपी श्री अतुल, पटवारी, पटवार हल्का खोहरी, तहसील बानसूर जिला कोतपूतली बहरोड द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि के सम्बन्ध में करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में अवगत करवाया गया। वक्त करीब 1.30 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दोनों गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 06.02.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय परिवादी श्री अमित आर्य व आरोपी श्री अतुल, पटवारी, पटवार हल्का खोहरी, तहसील बानसूर जिला कोतपूतली बहरोड के मध्य रूबरू वार्ताओं के रिकार्डशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय की आलमारी से निकलवाकर, विभागीय लैपटाप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्तालाप में परिवादी श्री अमित आर्य ने अपनी स्वयं व आरोपी श्री अतुल, पटवारी,

पटवार हल्का खोहरी, तहसील बानसूर जिला कोतपूतली बहरोड की आवाज की पहचान की, उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को सम्बन्धित वाईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनों गवाहान एवं परिवादी श्री अमित आर्य ने सही होना स्वीकार किया। रिकार्ड वार्तालाप की पेनड्राईव बनाने हेतु तीनो नये पेनड्राईव को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में डले मैमोरी कार्ड के रिकार्डशुदा वार्तालाप को श्री रामजीत सिंह कानि. 206 से मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने निर्देशन में उक्त वार्ताओं को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से बारी-बारी से तीनो पेनड्राईव में कापी कर तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान वार्ता सही होना सुनिश्चित कर तीनों पेनड्राईवों मार्क A-1, A-2, A-3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पेनड्राईव मार्क A-1, A-2, को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की अलग-अलग थैलीयों में रखकर कपडे की थैलीयों पर मार्क A-1, A-2, अंकित कर शील्डमोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क A-3 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकार्डर मे लगे एसडी मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड शुदा वार्तालाप की जो पेनड्राईव बनाई गई हैं उनमे किसी भी प्रकार की छेडछाड व कांट-छांट नही की गई है तथा विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 06.02.2026 रिकार्ड है को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 24.02.2026 को वक्त करीब 10.00 पी.एम पर परिवादी श्री अमित आर्य उपस्थित कार्यालय आया। जिसने मन उप अधीक्षक को बताया की रिश्वती राशि 15000/- रूपये साथ लेकर आया हूं। तत्पश्चात पूर्व से पाबन्दशुदा गवाह श्री प्रेम सिंह व श्री शिवाशीष कौशिक, सहायक प्रषासनिक अधिकारी, कार्यालय सहायक आयुक्त वृत (ब) अलवर उपस्थित कार्यालय आये। पूर्व से कार्यालय में मौजूद परिवादी श्री अमित आर्य का परिचय पुनः दोनों गवाहान से करवाया गया। वक्त करीब 10.30 ए.एम पर दोनो गवाहान के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री अमित आर्य को आरोपी श्री अतुल पटवारी, पटवार हल्का खोहरी तहसील बानसूर जिला कोटपूतली -बहरोड को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी ने भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोट कुल राशी 15000/- रूपये निकालकर पेश किये। जिने मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा फर्द पेशकशी में अंकित करवाकर उपरोक्त पेश शुदा नोटो को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर उक्त फर्द से मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पष्चात आरोपी को दी जाने वाली प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोटो कुल 15000/- रूपये पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने हेतु श्री कपील सोमवंशी वरिष्ठ सहायक को कार्यालय कक्ष मे बुलाया जाकर कार्यालय की आलमारी के अन्दर से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवाई जाकर श्री कपील सोमवंशी से एक साफ अखबार कार्यालय की टेबिल पर बिछाकर उस अखबार के उपर फिनोफ्थलीन पाऊडर निकालकर सभी नोटो पर भलिभांति लगवाया गया, तत्पष्चात परिवादी श्री अमित आर्य की जामा तलाशी गवाह श्री प्रेम सिंह से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल एवं स्वयं का पहचान पत्र ही रहने दिया गया, इसके बाद श्री कपील सोमवंशी से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये 500-500 रूपये के 30 नोटो कुल 15000/- रूपये परिवादी के पहने हुये पेन्ट के की बांयी जेब में रखवाये गये, तथा परिवादी को समझाईस की गई की अब वह इन पाऊड युक्त नोटो को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही अपने पास से रिश्वत राशी निकालकर आरोपी को देवे तथा आरोपी द्वारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहां पर रखता है इसका पूरा पूरा ध्यान रखे तथा अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर अथवा मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन से मिसकाल/मैसेज कर मुझे ईशारा करे साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी हिदायत दी गई की वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वत के लेनदेन को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे साथ ही समस्त ट्रेप पाटी सदस्यों को भी आवश्यक हिदायत दी गई। इसके बाद श्री कपील सोमवंशी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी उसके पश्चात एक नये प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में श्री सुण्डाराम हैड कानि0 से साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री कपील सोमवंषी ,की फिनोफ्थलीन युक्त हाथ की अगुलियो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी अमित आर्य दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाऊडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथो में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर धौवन का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को अपने हाथो से प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया तथा डिस्पोजल गिलास एवं उक्त अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात श्री कपील सोमवंशी के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रेपपार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाली शीशीया मय ढक्कन, गिलास, चम्मच आदि को को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया तथा ट्रेप बाक्स में रखवाया गया, तथा परिवादी को छोडकर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई, तो विभागीय परिचय पत्र एवं मोबाईल के अलावा कोई भी वस्तु/दस्तावेज नही छोडे गये। तत्पष्चात कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वाईस रिकार्डर जिसमें दिनांक 06.02.2026 को हुई रिश्वत माँग सत्यापन की रिकार्ड शुदा वार्तालाप के माईक्रो एस.डी. कार्ड Sandisk

32 GB रिकार्ड है सुनिष्चित कर उक्त रिकार्डर परिवादी को आवष्यक हिदायत देकर सुपुर्द किया गया। तत्पष्चात वक्त करीब 11.20 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री प्रेम सिंह व श्री शिवाशीष कौशिक एवं एसीबी स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, सुण्डाराम हैड कानि. 02, भगवान सिंह कानि. 125, रामजीत सिंह कानि. 206, नरेश कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी मय ट्रैप बाक्स मय सरकारी लैपटाप व प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामान के साथ एक प्राइवेट वाहन व एक सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक महेशचन्द तथा परिवादी श्री अमित आर्य के एसीबी कार्यालय अलवर से ट्रैप कार्यवाही बजानिब बानसूर के लिये रवाना हुआ तथा श्री कपिल सोमवंशी, कनिष्ठ सहायक को कार्यालय में मुनासिब हिदायत के साथ छोडा गया। वक्त करीब 12.20 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा कस्बा बानसूर स्थित तहसील कार्यालय के पास पहूंचे जहां वाहनो को सडक की साईड वाली जगह पर खडा करवाकर, वाहनो से नीचे उतरकर डिजिटल टेपरिकार्ड श्री सुण्डाराम हैड कानि. से चालू करवाकर परिवादी को सुपुर्द करवाया गया और परिवादी को मुनासिब हिदायत देकर संदिग्ध आरोपी श्री अतुल पटवारी के किराये का कमरा/पटवार कार्यालय पर रवाना किया परिवादी के पीछे पीछे मन् उप पुलिस अधीक्षक, दोनो गवाहान व बाकी स्टाफ सदस्य भी अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये संदिग्ध आरोपी श्री अतुल पटवारी के किराये का कमरा/पटवार कार्यालय के आस पास परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। इस समय परिवादी श्री अमित आर्य ने मन उप अधीक्षक पुलिस को मेरे मोबाईल पर समय 12.43 पी.एम पर मिस काल कर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस, द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं टीम सदस्यो को परिवादी के ईशारा प्राप्त होने के बाबत अवगत करवाया गया एवं मन् उप अधीक्षक पुलिस उपरोक्त दोनो मौतविरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर परिवादी के पास पटवार हल्का खोहरी के किराये के कमरे/कार्यालय में पहूंचा, जहां पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी से पूर्व मे सुपुर्दसुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को प्राप्त कर टेपरिकार्डर को बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने दोनो गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यो के समक्ष उक्त कमरे में कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर परिवादी ने बताया की ये ही श्री अतुल पटवारी है जिन्होनें अभी मेरे से मेरे नाम व मेरी भाभी श्रीमती स्नेहलता के नाम से खरीदी गई जमीन का इन्तकाल खोलने व राजस्व रिकार्ड पर रहन फक नोट हटाने की एवजं में 15000/- रूपये रिश्वत के मांगकर प्राप्त कर व अपने हाथो में लेकर व गिनकर अपनी पहनी हुई जीन्स की पिछे की बायी जेब में रख लिये और अभी मुझसे मेरी व मेरी भाभी के नाम की मूल रजिस्ट्र प्राप्त की है, जो मूल रजिस्ट्री इसके टेबिल पर रखी हुई है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी के बाताये अनुसार उक्त कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को अपना व ट्रेप पार्टी का परिचय देकर व आने का मन्तव्य बताकर स्टाफ की सहायता से उक्त व्यक्ति का दाहिना हाथ श्री रामजीत कानि. एवं बाया हाथ श्री भगवान सिंह कानि से पकडवाया जाकर उसको तसल्ली देकर नाम पता पूछा तो वह घबरा गया कुछ नही बोला इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी को पुनः तसल्ली देकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री अतुल कुमार यादव पुत्र श्री मोहरसिंह यादव जाति अहीर उम्र 30 साल निवासी ग्राम पोस्ट रतनपुरा तहसील बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड हाल पटवारी, पटवार हल्का खोहरी तहसील बानसूर जिला कोटपूतली -बहरोड होना बताया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री अतुल कुमार यादव से परिवादी से अभी ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो श्री अतुल कुमार यादव ने दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यो व परिवादी के समक्ष रिश्वत राशि अपनी पहनी हुई जिन्स की पेन्ट की पिछे की बायी जेब मे होना बताया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री अतुल कुमार यादव से पूछा की आपने परिवादी अमित आर्य से किस बात के 15000/- रूपये लिये हैं, इस पर दोनो गवाहान एवं एसीबी स्टाफ के समक्ष आरोपी श्री अतुल कुमार यादव ने बताया की ये दिनांक 04.02.2026 को मेरे पास आया और मुझसे अपने इन्तकाल के बारे में बातचीत की तब मैने इसको बताया था की जमीन बैक के रहन है बैक से एनओसी लेकर आनी है इसके बाद ये मेरे पास से चला गया और दिनांक 06.02.2026 को मेरे पास आया और मुझे बैक की एनओसी देकर गया था तथा मुझसे इसने कहा था की इन्तकाल खोलने एवं रहन फक का नोट हटाने के लिये बातचीत की और चला गया। उसके बाद आज कुछ समय पहले ये मेरे कार्यालय /किराये के कमरे पर आकर मुझे अपनी दोनो रजिस्ट्री दी और मुझसे कहा की आचार संहिता से पहले हमारा इन्तकाल खोलने का काम कर दो और इसने स्वयं ही 15000/-रूपये निकालकर दिये थे जो मैने गिनकर अपनी पहनी हुई जिन्स की पेन्ट की पिछे की बायी जेब मे रख लिये जो अभी मेरी जेब में ही रखे हुये है। मैने इससे कोई रिश्वत की मांग नही की इसने अपनी स्वेच्छा से दी है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने पास ही खडे परिवादी ने आरोपी अतुल कुमार यादव पटवारी की बातो का खण्डन करते हुये बताया की साहब ये झूठ बोल रहा है मेरे व मेरी भाभी श्रीमती स्नेहलता पत्नी श्री सतीश कुमार के नाम से ग्राम खोहरी तहसील बानूसर में साढे पांच बीघा जमीन दिनांक 22.01.2026 को श्रीमती सुन्देरी पत्नी श्री शिवलाल से खरीदी थी।जिसकी रजिस्ट्री भी दिनांक 22.01.2026 को तहसीलदार बानसूर के कार्यालय में करवाई थी। उक्त खरीदी गई भूमि के इन्तकाल खोलने के लिये हल्का पटवारी श्री अतुल से दिनांक 04.02.2026 को मिलकर बातचीत की तो उसने मुझे बताया की ये जमीन बैंक के रहन है, तुम बैंक से NOC ले आना तुम्हारे रहन फक व इन्तकाल चढाने का काम एक साथ कर देगे। उक्त कार्य के लिये मुझे 15000/-रूपये रिश्वत की मांग की जिस पर मै दिनांक 06.02.26 को आपके कार्यालय मे आया और इस संबंध

मे शिकायत पेश की जिस पर आपने शिकायत का सत्यापन करवाया। सत्यापन के समय इसने मुझसे मेरे व मेरी भाभी के नाम इन्तकाल खोलने व रहन फक का नोट हटाने के लिये 15000/-रूपये की मांग की। उक्त मांग के क्रम में आज थोडी देर पहले मै इनको रिश्वत राशि देने के लिये उक्त किराये के कमरे पटवार कार्यालय में आया तो मुझे ये कमरे में मिले जिनसे मैने हमारे उक्त कार्य के लिये बातचीत की व हमारी दोनो मूल रजिस्ट्री इनको देने पर इन्होने मुझसे मांगकर रूपये देने के लिये कहा तो मैने अपनी पेन्ट की बायी जेंब में रखी हुई पाउडर युक्त 15000/-रूपये को निकालकर इनको दिये और पटवारी साहब ने उक्त रिश्वत राशि मुझसे लेकर व गिनकर अपनी पहनी हुई जिन्स पेन्ट की पिछे की बायी जेब मे रख लिये जो अभी इनकी जेब रखे हुये। इसके बाद मैने आपको निर्धारित ईशारा कर दिया और आप लोग आ गये। इसके बाद आरोपी श्री अतुल कुमार यादव पटवारी से पुनः पूछा तो वह कुछ नही बोला और चुप हो गया। तत्पश्चात उक्त कमरे में लगी हुई टेबिल पर रखी हुई पानी की बोतल में से ट्रैप बाक्स से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी नये डिस्पोजल गिलासों को निकालकर उन्हे उक्त साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त दोनो प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री अतुल कुमार पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R -1 R -2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल मे आरोपी श्री अतुल कुमार पटवारी के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L -1 , L - 2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद गवाह श्री शिवाशीष कौशिक से आरोपी श्री अतुल कुमार यादव पटवारी के बताये अनुसार उसकी पहनी हुई जिन्स पेन्ट की पिछे की बायी जेब की तलाशी लिवाई जाने पर उक्त जेब से 500-500 रूपये के नोट बरामद हुये। उक्त बरामदशुदा नोटो को दोनो गवाहान से गिनने व कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरो से मिलान करवाया गया तो उक्त बरामदशुदा नोर्ट मुताबिक फर्द पेशकशी के 500- 500 के 30 नोट कुल 15000/-रूपये होना पाये गये जिन्हे गवाह श्री शिवाशिष कौशिक के पास सुरक्षित रखवाये गये। उक्त कार्यवाही की विडियो ग्राफी श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल में 32 जी.बी.सैनडिक्स एस.डी कार्ड लगवाई जाकर करवाई गई। इसके बाद आरोपी श्री अतुल कुमार यादव पटवारी से परिवादी के काम से संबंधित रजिस्ट्री के बारे में पुछा तो आरोपी ने अपनी टेबिल पर रखी दो मूल रजिस्ट्रीयां मन उप अधीक्षक को पेश की और बताया की श्री अमित ने उक्त दोनो रजिस्ट्रीयां को कुछ समय पहले ही मुझे दी है। पेशशुदा रजिस्ट्री को सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात मौक पर भीड-भाड होने व कार्यवाही करने हेतु आवश्यक व्यवस्था नही होने से अग्रिम कार्यवाही हेतु निरूद्धशुदा आरोपी श्री अतुल कुमार पटवारी व जप्तशुदा आर्टिक्लस को हमरा लेकर मय ट्रेप पार्टी मय दोनो गवाहान के पास ही तहसील कार्यालय भवन बानसूर के लिये उक्त किराये के कमरे/ पटवार कार्यालय खोहरी के मैन गेट पर ताला लगाकर चाबी गवाह श्री प्रेमसिंह के पास सुरक्षित रखवाई गई तथा उक्त स्थान से रवाना होकर तहसील कार्यालय बानसूर में पहूंच तहसीलदार के कार्यालय के बगल में बने राजस्व कक्ष कमरा नम्बर 02 मे बैठे स्टाफ को कार्यवाही से अवगत कराते हुये उक्त कमरे में अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। इसके बाद गवाह श्री शिवाशिष कौशिक के पास रखवाई गई उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि को पेश करने की कहने पर उक्त गवाह श्री शिवाशिष कौशिक उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोट कुल 15000/- रूपये के नोटो अपने पास निकालकर दिये उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोट कुल 15000/- की रिश्वत राशि को एक सफेद कपडे के साथ नत्थीकर शील मोहर कर उक्त कपडे पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद जिस जिन्स पेन्ट की पिछे की बायी जेब जिसमें रिश्वत की राशि बरामद हुई थी को एक नये पारदर्शी डिस्पोजल गिलास ट्रेप बाक्स से निकलवाकर उसे पानी से साफ करवाकर उक्त कमरे में रखी पानी की बोतल से पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर श्री सुण्डारा हैड कानि. 02 से घोल तैयार करवाया गया उक्त घोल रंगहीन रहा, उक्त घोल में आरोपी अतुल कुमार पटवारी के बदन से उतरवाई गई जिन्स की पेन्ट की पिछे की बायी जेब को उल्टा करके डूबोकर धुलवाया गया तो धौवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे देखकर सभी ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धौवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा आधा भरवाकर शीशियों पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर चिट चस्पा व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P-1, P-2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी के बदन से उतरवाई गई जिन्स की पेन्ट की पिछे की बायी जेब जिसे उल्टाकर धौवन लिया गया। उक्त जेब को सुखाकर उक्त जेब पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे थैली में रखकर सील मोहर का उक्त थैली पर सभी संबधितो के हस्ताकर करवाकर मार्क P अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही की विडियो ग्राफी कार्यालय के

सरकारी मोबाईल फोन में 32 जी.बी.सैनडिक्स कम्पनी का एस.डी कार्ड लगवाया जाकर श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 से करवाई गई। तत्पश्चात वक्त करीब 3.30 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने दोनो गवाहान के समक्ष आरोपी श्री अतुल कुमार यादव, पटवारी, पटवार हल्का खोहरी, तहसील बानसूर जिला कोतपूतली बहरोड को जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत कारित किया जाने पर आरोपी के कृत्य के क्रम में बीएनएसएस 2023 में प्रावधानो के अनुसार गिरफतार करने का नोटिस जारी किया जाकर एक प्रति आरोपी श्री अतुल कुमार यादव को देकर हस्ताक्षर करवा कर सूचित किया गया। तत्पष्चात वक्त करीब 3.45 पी.एम पर गवाह श्री प्रेम सिंह व श्री शिवाशीष कौशिक एवं परिवादी श्री अमित आर्य के समक्ष परिवादी श्री अमित आर्य एवं आरोपी श्री अतुल कुमार यादव, पटवारी, पटवार हल्का खोहरी, तहसील बानसूर जिला कोतपूतली बहरोड के मध्य दिनांक 24.02.2026 को रिश्वत लेन देन के समय रूबरू वार्ता के रिकार्डशुदा एसडी मैमोरी सनडिस्क 32 जीबी के मैमोरी कार्ड के फोल्डर 02 में रिकार्डशुदा वार्ता को चलाकर सुनकर अपने पास रखा था, को विभागीय लैपटाप से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकार्ड वार्तालाप को सुना जाकर ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्तालाप में परिवादी श्री अमित आर्य ने अपनी स्वयं व आरोपी श्री अतुल कुमार यादव, पटवारी, पटवार हल्का खोहरी, बानसूर जिला कोतपूतली बहरोड की आवाज की पहचान की, उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को सम्बन्धित वाॅईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनों गवाहान एवं परिवादी श्री अमित आर्य ने पूर्ण रूपेण सही होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त रिकार्ड वार्तालाप की पेनड्राईव बनाने हेतु तीन खाली पेनड्राईव जिस पर SanDisk Cruzer Blade 16GB अंकित है मंगवाई जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में डले Sandisk 32 GB मैमोरी कार्ड के रिकार्डिंग फाईल के फोल्डर 02 मे रिकार्डशुदा वार्तालाप को श्री रामजीत सिंह कानि. 206 से मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने स्वयं के निर्देशन में उक्त वार्ताओं को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से बारी-बारी से तीन पेनड्राईव में कापी कर तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान वार्ता सही होना सुनिश्चित कर तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क B-1, B-2, B-3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री अमित आर्य के हस्ताक्षर करवाकर, एक पैनड्राईव की कार्यालय लैपटोप की सहायता से एक्सटीरियों एफटीके इमेजर साफ्टवेयर से हेश वैल्यु निकाली गई। तत्पष्चात पेनड्राईव मार्क B-1, B-2, को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की अलग-अलग थैलीयों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क B-1, B-2, अंकित कर शील्डमोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क B-3 को खुला रखा गया। डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटाप की सहायता से उसमें सेव वार्ता की एक्सटीरियो एफटीके इमेजर साफ्टवेयर हेश वैल्यु निकाली गई तत्पश्चात उक्त मूल मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB जिसमें वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 06.02.2026 व लेनदेन वार्ता दिनांक 24.02.2026 रिकार्ड है को प्लास्टिक की डिब्बी में डालकर, प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शील्डमोहर किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क SD अंकित किया जाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकार्डर मे डले एसडी मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड शुदा वार्तालाप की जो पेनड्राईव बनाई गई हैं उनमे किसी भी प्रकार की छेडछाड व कांट-छांट नही की गई है। तत्पश्चात वक्त करीब 5.10 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने गवाहान के समक्ष एवं परिवादी श्री अमित आर्य की मौजुदगी में आरोपी श्री अतुल कुमार यादव पुत्र श्री मोहरसिंह जाति यादव उम्र 30 साल निवासी ग्राम पोस्ट रतनपुरा, तहसील बानूसर, जिला कोतपूतली-बहरोड हाल पटवारी, पटवार हल्का खोहरी, तहसील बानसूर जिला कोतपूतली-बहरोड को हस्बकायदा जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना नियमानुसार दी गई। वक्त करीब 5.50 पी.एम दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अमित आर्य से आरोपी श्री अतुल कुमार यादव पटवारी, पटवार हल्का खोहरी, तहसील बानसूर जिला कोतपूतली-बहरोड द्वारा 15000/-रूपये रिश्वत प्राप्त करने पर परिवादी द्वारा निर्धारित ईशारा मिलने पर बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई की कार्यवाही शुरू की गई थी कार्यवाही के दौरान श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 द्वारा सरकारी मोबाईल में नया एसडी कार्ड Sandisk 32 GB डालकर उक्त कार्यवाही की श्री सुण्डाराम हैड कानि. से वीडियोग्राफी करवाई गई थी। उक्त मोबाईल मे से मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड को लेपटोप मे कनेक्ट कर रिकार्ड विडियोग्राफी क्लिप को विभागीय लेपटोप मे सेव किया जाकर उक्त सेव विडीयोग्राफी को दो नई पेन ड्राईव नई Sandisk 16 GB ली जाकर उक्त पैन ड्राईव में बारी बारी पैन ड्राईव तैयार करवाये गये। पेन ड्राईव को लेपटोप मे सेव वीडियोग्राफी से मिलान किया गया तो मेमोरी कार्ड में हुई वीडियोग्राफी का मिलान होना पाया गया। दोनो पेनड्राईव को पृथक पृथक प्लास्टिक की डिब्बी मे रखकर मार्क C-1, C-2, अंकित किया जाकर मार्क C-1, को सील मोहर कर कपडे की थैली मे रखकर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। मार्क C-2, को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। उक्त विडियो क्लिप के मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त मोबाईल फोन से निकाल कर उक्त कार्ड को एक खाली प्लास्टिक की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त प्लास्टिक की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क SD-1 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर

करवाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड शुदा वार्ताओं की जो पैन ड्राईव बनाई गई है। तत्पश्चात वक्त करीब 6.30 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही मे वजह सबूत को शील्ड करने एवं फर्दात आदि पर नमूना सील अंकित करने के प्रयुक्त मे ली गई पीतल की नमूना ब्रास सील नम्बर 68 को श्री सुण्डाराम हैड कानि 02 जरिये तुडवाकर नष्ट कराया जाकर फर्द नष्टीकरण तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षकर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई । तत्पश्चात वक्त करीब 7.05 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी स्टाफ सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, सुण्डाराम हैड कानि0 02, श्री रामजीत सिंह कानि. 206, श्री भगवान सिंह कानि. 125, श्री नरेश कुमार शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी व दोनो गवाहान एवं जप्तशुदा आर्टिक्लस मय ट्रेप बाक्स लैपटाप, प्रिन्टर, मय जप्त की गई रिश्वत राशि के तथा आरोपी श्री अतुल कुमार यादव पटवारी, पटवार हल्का खोहरी, तहसील बानसूर जिला कोतपूतली-बहरोड को साथ लेकर हमराह साथ लाये वाहनों से तहसील कार्यालय बानसूर से एसीबी चौकी की अलवर रवाना हुआ। परिवादी श्री अमित आर्य को बाद कार्यवाही तहसील कार्यालय बानसूर से अपने घर जाने के लिए रूखस्त किया गया। वक्त करीब 8.10 पी.एम उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी स्टाफ सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, सुण्डाराम हैड कानि0 02, श्री रामजीत सिंह कानि. 206, श्री भगवान सिंह कानि. 125, श्री नरेश कुमार शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी व दोनो गवाहान एवं जप्तशुदा आर्टिक्लस मय ट्रेप बाक्स लैपटाप, प्रिन्टर, मय जप्त की गई रिश्वत राशि के तथा साथ लाये आरोपी श्री अतुल कुमार यादव, पटवारी, पटवार हल्का खोहरी, तहसील बानसूर जिला कोतपूतली-बहरोड के एसीबी चैकी अलवर पहूंचा। श्री आरोपी श्री अतुल कुमार यादव पटवारी, पटवार हल्का खोहरी, तहसील बानसूर जिला कोतपूतली-बहरोड कार्यालय में स्टाफ की निगरानी में बैठाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 10.00 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में जप्त/शील्डशुदा समस्त वजह सबूत माल/आर्टिकल को मालाखाना प्रभारी श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 से सुरक्षित हालात में मालखाना में जमा करवाया गया। अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी परिवादी श्री अमित आर्य की लिखित रिपोर्ट दिनांक 24.02.2026 पर आयोजित की गई ट्रैप कार्यवाही के दौरान उजागर हुये तथ्यो के आधार पर आरोपी श्री अतुल पटवारी, पटवार हल्का खोहरी तहसील बानसूर जिला कोटपूतली -बहरोड द्वारा बैहसियत लोक सेवक कार्यरत रहते हुये अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर अपने लोक कत्र्तव्यों के निर्वहन मे भ्रष्टतम आचरण अपनाकर परिवादी से उसकी व उसकी भाभी श्रीमती स्नेहलता पत्नी श्री सतीश कुमार के नाम से ग्राम खोहरी तहसील बानूसर में साढे पांच बीघा जमीन दिनांक 22.01.2026 को श्रीमती सुन्देरी पत्नी श्री शिवलाल से जरिये रजिस्ट्री क्रय की गई थी। उक्त क्रय की गई भूमि का इन्तकाल खोलने एवं राजस्व रिकार्ड में रहन का नोट हटाने के लिये दिनांक 06.02.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय आरोपी द्वारा परिवादी से 15000/-रूपये रूपये की रिश्वत राशि मांग करना दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 24.02.2026 को परिवादी अमित आर्य से उक्त मांग के अनुसरण में आरोपी श्री अतुल कुमार यादव .के द्वारा 15000/-रूपये रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण करना तथा उक्त ग्रहण की गई रिश्वत राशि आरोपी पहनी हुई पेन्ट की पिछे की बायीं जेब से बरामद होने से आरोपी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। अतः आरोपी श्री अतुल कुमार यादव पुत्र श्री मोहरसिंह जाति अहीर उम्र 30 साल निवासी ग्राम पोस्ट रतनपुरा तहसील बानसूरजिला कोटपूतली बहरोड हाल पटवारी, पटवार हल्का खोहरी तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली -बहरोड का उक्त कृत्य अपराध अन्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) मे प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर को प्रेषित है । भवदीय (शब्बीर खान) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर प्रथम अलवर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम अलवर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी श्री अतुल कुमार यादव पुत्र श्री मोहरसिंह, जाति अहीर, उम्र 30 साल, निवासी ग्राम पोस्ट रतनपुरा, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली-बहरोड, हाल पटवारी, पटवार हल्का खोहरी तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली -बहरोड के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 363 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 403-06 दिनांक 26.02.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर 2- जिला कलक्टर, कोटपूतली-बहरोड 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-प्रथम अलवर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Ravindra Singh Shekhawat **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 26/02/2026 12:58:15

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1996				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)